भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-993

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं में पेपर लीक

†993. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2024 में नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों की जांच की है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या ऐसे पेपर लीक के लिए जवाबदेही तय की गई है और जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) विगत दस वर्षों के दौरान देश में आयोजित उन सभी परीक्षाओं की विस्तृत सूची का ब्यौरा क्या है जिनकी शुचिता भंग की गई; और
(घ) इस प्रकार के पेपर लीक को रोकने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा दिनांक 5 मई 2024 को नीट (यूजी) 2024 परीक्षा आयोजित की गई। नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के आयोजन के बाद, कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामलों की सूचना मिली थी। शिक्षा मंत्रालय ने नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात आदि सहित कथित अनियमितताओं के पूरे प्रकरण की व्यापक जांच करने को कहा था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी (सिविल) 335/2024 और संबंधित मामलों में दिनांक 2 अगस्त, 2024 के निर्णय के तहत पैरा 84 में टिप्पणी की है कि "इसलिए, वर्तमान में पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है जो अन्य रूपों के प्रणालीगत चूक या प्रणालीगत कदाचार को इंगित करती है। वर्तमान में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री इस आरोप की पुष्टि नहीं करती है कि व्यापक कदाचार हुआ है जिससे परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है.' इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23 जुलाई, 2024 के पहले के आदेश के अनुपालन में, नीट (यूजी) 2024 परीक्षा का संशोधित परिणाम दिनांक 26 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया है।

दिनांक 22.11.2024 की स्थिति के अनुसार सीबीआई ने पटना के नीट (यूजी) पेपर चोरी मामले में कुल 45 अभियुक्तों के विरूद्ध पांच आरोप पत्र दायर किए हैं। उम्मीदवारों के नाम, जो पेपर चोरी/अनुचित साधनों के लाभार्थी हैं और एमबीबीएस छात्रों के नाम जिन्होंने चोरी किए गए पेपर को हल किया था या जो परीक्षा में प्रतिरूपणकर्ता के रूप में उपस्थित हुए थे, उनकी पहचान की जा चुकी है और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेज दी गई है।

एनटीए द्वारा दिनांक 18.6.24 को आयोजित यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा को कुछ इनपुट प्राप्त होने के बाद रद्द कर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है। इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया था और परीक्षा दिनांक 21 अगस्त और 5 सितंबर, 2024 के बीच नए सिरे से संपन्न की गई थी। परीक्षा का परिणाम दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को पहले ही घोषित किया जा चुका है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि भर्ती के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए विभिन्न निकायों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। जांच विशिष्ट घटनाओं से संबंधित आंकड़े मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष इसरो और अध्यक्ष बीओजी, आईआईटी कानपुर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीई) का गठन किया। समिति ने दिनांक 21.10.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और एनटीए को मजबूत करने, राज्यों के साथ संस्थागत संबंध, ज्ञान और परीक्षा भागीदार के रूप में टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसियों की भागीदारी आदि सहित राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में सुधार की सिफारिश की। उच्च स्तरीय शिक्षा परिषद ने पेन और पेपर टेस्ट (पीपीटी) तथा कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) परीक्षाओं में उल्लंघनों को रोकने के लिए उपाय निर्धारित किए गए हैं और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की सिफारिश भी की है। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रश्न पत्र की सेटिंग और पुनरीक्षण के लिए दिशानिर्देशों की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा, अन्य सिफारिशों के अलावा, एचएलसीई ने छात्रों को परीक्षा केंद्र आवंटन के किसी भी असामान्य पैटर्न को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र आवंटन नीति पर विस्तृत ढांचा विकसित करने की मांग की है। समिति ने एचएलसीई की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एनटीए पर एक उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति के गठन की भी सिफारिश की। मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 नवंबर, 2024 को उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है।

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के रूप में, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम दिनांक 21 जून, 2024 से लागू हुआ है और इसके तहत नियम दिनांक 23 जून, 2024 को अधिसूचित किए गए हैं।

*****